

PAPER-IV
MISC-5

DR. RAHUL KR PASWAN
Dept of Pol. Sci

⇒ उपसभापिका (LEGISLATURE)

उपसभापिका का विधान निकाय की स्थापना के साथ ही हुआ है। व्यापक अर्थ में उपसभापिका का वह अर्थ है, जो कोई प्रतिनिधिपालिका आद्यपि न रखने वाला भी आसन का नियम-निर्माण में लगाए, स्थापना या प्रोत्साहन का कार्य करता है, उपसभापिका कहा जाता है।

उपसभापिका उपसभापिका का राजा लोकसभा संग्रहण है, जो कानून बनाने के अधिकार से युक्त होता है। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि उपसभापिका के लिए प्रतिनिधि प्रतिनिधिपालिका रूप रखना आवश्यक नहीं है।

⇒ संग्रहण के आधार

मुख्य रूप से दो आधार हैं— पहला प्रतिनिधिपालिका आधार और दूसरा राजनीतिक दलों द्वारा। इन दोनों आधारों की विवेचना हम निम्न रूप से कर सकते हैं।

① प्रतिनिधिपालिका आधार — ऐतिहासिक दृष्टि से उपसभापिका के विधान के दृष्टि में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता ही प्रमुख रही है। प्रत्येक लोकसभा के राजनीतिक दलों के विधानपंडों का संग्रहण प्रतिनिधित्व के विधानों पर ही होता है। लोकसभा के आसन उपसभापिका में विधानपंडों का संग्रहण इन आधारों पर नहीं होता। राजा देखा जाय कि जिन देशों में विधानपंडों के संग्रहण का आधार प्रतिनिधित्व नहीं होता, वहाँ भी उनकी प्रांग की जारी है, जो कभी-कभी अंग्रेजों का रूप ले लेती है। हमें स्पष्ट होता है कि प्रतिनिधित्व का उपसभापिका के संग्रहण में महत्वपूर्ण स्थान है।

② राजनीतिक दलों के आधार — आधुनिक उपसभापिका में इन कणों से दल-पक्षों का प्रभुत्व, राजनीतिक दलों का आसन और उनकी विचारधारा की प्रतिक्रिया का आधार, विधानपंडों की प्रकृति का निर्माण होने लगा है।

आधुनिक अर्थ में निर्वाचन उपसभापिका आधार पर नहीं होता, राजनीतिक दलों के आधार

या दौरा में मरदाना के मानने सिनी भी नीति-
विरुद्ध का सिधारण करने की व्यवस्था है। स्वतंत्रता
नीति रही। वह सिर्फ राजनीति दलों द्वारा प्रचलित
नीति-विरुद्धों में से किसी एक का मान्य करने की
स्वतंत्रता रखता है और आज संसदी के संजमन का
आपसति आपस राजनीति दल ही बन जायेंगे।

⇒ सदनों के आधुनिक या व्यवस्थापिका का संजमन —
सदनों के आधुनिक या भी व्यवस्थापिका का संजमन
दो प्रत्येक के सिधारण पर दौरा से एक सिधारण के
अनुषंग, विधानमंडल का सिर्फ राह ही खदन दौरा से,
जिसे हम एकलदनात्मक (unicameral system) कहेंगे,
दोनों सिधारण के अनुषंग, व्यवस्थापिका के दो खदन
होंगे से। जिसे हम द्विलदनात्मक व्यवस्थापिका (bicameral
system) कहेंगे से। आधुनिक युग में द्विलदनात्मक
व्यवस्थापिका का ही प्रचलन अधिक है। जिस देश में
व्यवस्थापिका के दो खदन होंगे से, वहां के एक को
उच्च या द्वितीय खदन (upper house) कहेंगे से और
दूसरे को निम्न या प्रथम खदन (lower house) निम्न
खदन में आधुनिक। जनआधुनिक का प्रतिनिधित्व रखा
रहता है, जबकि उच्च खदन में स्त्रीयों का
प्रतिनिधित्व रखा रखा है।

एकलदनात्मक व्यवस्थापिका (unicameral system) —
अहां व्यवस्थापिका में एक खदन होता
है, वहां खदनप्रणाली को एकलदनात्मक प्रणाली कहेंगे से।
एकलदनात्मक व्यवस्थापिका के संपर्क का कहना है कि
आज के लोकतांत्रिक युग में सर्वसाधुता का प्रतिनिधित्व
एक ही खदन के द्वारा हो सकेगा से वेजांमिन फ्रेंचलिन
का कहना है कि किसी भी व्यवस्थापिका खजाना में
द्वितीय खदन का रहना अनावश्यक है।